बिहार जागे... देश आगे

प्रभात खबर

पटना । मुजफ्फरपुर । भागलपुर । रांची । जमशेदपुर । धनबाद । देवघर । कोलकाता से प्रकाशित

पटना, मंगलवार

3.06.2025

prabhatkhabar.com

स्पोर्ट्स | 11

बिन्नी की जगह कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे राजीव शुक्ला

देश-विदेश | 10

शिक्षा और संस्कार का गढ़ बनेगा दून विश्वविद्यालय

इन दिनों | 09

कैलाश मानसरोवर की यात्रा

रेरा का चला डंडा, 21 प्रॉपर्टी डीलर व डेवलपर पर कार्रवाई

सख्ती

- जांच आयुक्त रेरा और डीएम की बैठक में कई खुलासे हुये, दिये गये कार्रवाई के आदेश

प्रतिनिधि, छपरा

रेरा के कानूनी फेरा में सारण के 21 प्रॉपर्टी डीलर और डेवलपर आ गये हैं. इन सभी से जमीन का प्लॉट और फ्लैट खरीदने पर रेरा और जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है तथा आम लोगों से अपील की गयी है कि जिन 21 डेवलपर कंपनियों पर बैन लगायी गयी है, इनसे प्लॉट या फ्लैट की खरीदारी नहीं करें.

बैठक की मुख्य बातें और निर्देश : जांच आयुक्त, रेरा, बिहार एवं जिलाधिकारी, सारण द्वारा संयुक्त रूप से रेरा से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. जांच आयुक्त ने बताया कि किसी भी क्षेत्रान्तर्गत यदि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी प्लॉट की बिक्री करती है अथवा किसी भी क्षेत्र में एक बड़े प्लॉट के तहत छोटे-छोटे प्लॉटों की संख्या आठ से ज्यादा है तथा किसी भी निर्माण कराये जा रहे अपार्टमेंट में फ्लैटों की संख्या आठ से ज्यादा है, तो उसे प्लॉट या फ्लैट बिक्री करने से पूर्व निश्चित रूप से रेरा से निबंधन कराना होगा नहीं, तो रेरा एक्ट के सेक्शन तीन के तहत संबंधित पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही कोई भी व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी निबंधन से पूर्व प्लॉट बिक्री के संबंध में कहीं भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता है, न कोई नोटिस निर्गत कर सकता है, न दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करा सकता है, न ऑनलाइन विज्ञापन दे सकता है और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सकता है.

रेरा से संबंधित समीक्षा बैठक करते पदाधिकारी.

रेरा से है रजिस्ट्रेशन, तो बोर्ड आवश्यक है लगाना : यदि कोई डेवलपर कंपनी यह दावा करता है कि वो रेरा से पूर्व से ही निबंधित है तथा निबंधन के पश्चात ही जमीन की बिक्री करने का कार्य कर रहा है तो उसे रेरा एक्ट के तहत संबंधित प्लॉट पर कम से कम 5 फुट x 4 फुट का एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें रेरा द्वारा निबंधित कराये गये रेरा निबंधन संख्या और कर कोड निश्चित रूप से प्रदर्शित रहना चाहिए, ताकि क्यूआर कोड के माध्यम से संबंधित डेवलपर एवं उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों का नाम, संपर्क सूत्र, उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्य आदि से संबंधित सभी सूचनाएं आमजनों को आसानी से प्राप्त हो सकें.

जमीन या प्लाट खरीदने से पहले यह चीज अवश्य देखें : कुछ ऐसे भी मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा एजेंट के नाम पर रेरा से निबंधन कराकर उसका संबंधित प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर आमजनों को भ्रमित कर भूमि बिक्री की कार्रवाई की जा रही है.

इन डेवलपर पर हुई कार्रवाई, इनसे नहीं खरीदें प्लॉट-फ्लैट

गौतम बुद्ध नगर, शीतल ग्रीन सिटी, बिग ड्रीम, ग्रीन पार्क, हाईवे प्राइड, लावण्या टाउन फेज दो, फ्रेश लैंड, प्लॉट्स में फिनोफेना प्रोजेक्ट, प्लॉट्स में दक्ष एंटरप्राइजेज, एवरग्रीन होम्स, आर ए वी रेजिडेंसी, शीतल ग्रीन सिटी एनजीआर पी, शीतल ग्रीन सिटी एनजीबीपी, द साईं ग्रीन, निधि वन होम्स, एवरग्रीन होम्स, ड्रीम विलेज, सारण प्रॉपर्टीज, यशराज एंड कंपनी, आर्य सिटी, भोला हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन.

जांच में हो गया खुलासा : इसी क्रम में दिनांक 31 मई को जिला प्रशासन एवं रेरा की तीन टीमों द्वारा अलग-अलग रूप से छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर के डेवलपर्स कंपनी द्वारा भूमि बिक्री किये जा रहे प्लॉटों पर जाकर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में पाया गया कि कुल 21 डेवलपर कंपनी द्वारा बिना रेरा से निबंधन कराये भूमि की बिक्री की जा रही है, जो रेरा एक्ट के तहत सेक्शन तीन का उल्लंघन है, जिसके लिए सभी डेवलपर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.